देवेन्द्र सिंह चौहान,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0- 12 /2022
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांक: मई 25, 2022

विषय- दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम-2009 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम-2013 द्वारा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-161(3) के प्राविधानो का कठोरता से अनुपालन किये जाने के संबंध मे दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

अर्द्ध शासकीय डी0जी0-परिपत्र सं0 -03/2013 दि0 17.01.2013
अर्द्ध शासकीय डी0जी0 -परिपत्र सं0 -13/2001 दि0 17.04.2013
डीजी-परिपत्र सं0 - 16/2013 दि0- 29.04.2013
डीजी-परिपत्र सं0 - 20/2016 दि0- 13.04.2016
महिला अपराध से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना बलात्कार के अपराधों की विवेचना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश (SOP)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-161(3) के अनुपालन में पीड़ित महिला का बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किये जाने तथा बयान की वीडियो रिकार्डिंग कराये जाने के सम्बन्ध में पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित निर्देश इस मुख्यालय से पूर्व में निर्गत किये गये हैं परन्तु इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान मे अभी भी आ रहे है कि विवेचको द्वारा इसका अनुपालन अनिवार्य रूप से नही किया जा रहा है। श्री शिव कुमार पाल शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0-क्रिम0/7968B/Allahabad दिनांकित 13.05.2022 द्वारा संज्ञान मे लाया गया हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-161(3) का अनुपालन विवेचकों द्वारा नही किये जाने के अनेक दृष्टान्त मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष आये हैं, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम-2009 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम-2013 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-161(3) को निम्नवत संशोधित किया गया हैं तथा यह (संशोधन) क्रमशः दिनांक 31.12.2009 तथा 03.02.2013 से प्रभावी है-

The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section; and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records.

Provided that statement made under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means.

Provided further that the statement of a woman against whom an offence under

............2

section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB], section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer.

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-161(3) में दी गयी व्यवस्था से सभी विवेचको को अवगत कराये तथा उन्हे निर्देशित करे कि महिला अपराध की पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही दर्ज किया जाये तथा बयान की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जाये। यदि किसी विवेचक द्वारा इन निर्देशो का अनुपालन नही किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

25/5/20

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।